UNITED NATIONS ORGANISATIONS (U.N.O.)PART-2

For:U.G. Part-2,Paper-4

संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंग

1.महासभा (General Assembly)

Photo source :Internet UNO General Assembly Hall

छह प्रधान अंगों में से एक महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य विचार विमर्श निकाय है जो मुक्त और उदार बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी **193 देशों** का प्रतिनिधित्व है जो इसे सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला निकाय बनाता है। सभा में किसी भी देश के अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधि होते हैं। प्रत्येक

Scanned with CamScanner

देश को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है किंतु प्रत्येक देश को एक वोट प्राप्त होता है। महासभा के निर्माण के पीछे मूल विचार यह था कि इसका संयुक्त राष्ट्र के एक सम्पूर्ण अंग के रूप में विकास किया जाए जिसमें सभी सदस्य राज्य को बिना किसी आकार, आबादी, सामाजिक- आर्थिक विकास तथा सैनिक एवं वित्तीय शक्ति की एक वोट के अधिकार सहित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए।

- **अधिवेशन** : महासभा का एक नियमित अधिवेशन संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय **न्यूयॉर्क** में **सितंबर** के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलते है। प्रत्येक सत्र की शुरुआत पर महासभा एक नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष तथा सभा के प्रमुख समितियों के अध्यक्षों का चुनाव करती है। समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवर्ष देशों के 5 समूहों के बीच अध्यक्षता का चक्रण होता है। ये देश है अफ्रीका, एशिया, पूर्वी यूरोप, दक्षिण अमेरिका, पश्चिमी यूरोप एवं अन्य राज्य।
  इसके नियमित अधिवेशनों के अतिरिक्त सुरक्षा परिषद की प्रार्थना पर अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकांश सदस्यों अथवा अधिकांश सदस्यों द्वारा अनुमोदित एक सदस्य की

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पर महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है।

❖ **महासभा की कार्य एंव शक्तियां**

इसकी शक्तियों और भूमिकाओं के चर्चा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के **अनुच्छेद 10** में की गई है जो निम्नलिखित है:

1. अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए सहयोग के सिद्धांतों के साथ-साथ निशस्त्रीकरण और शस्त्रीकरण के नियमन के सिद्धांतों के लिए सुझाव प्रस्तावित करना
2. सुरक्षा परिषद के अधीन किसी विवाद या मामले को छोड़कर शेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से जुड़े किसी प्रश्न पर चर्चा करना और उस संबंध में सुझाव देना
3. संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी अंग की कार्य एवं शक्तियों को प्रभावित करने वाले या चार्टर के अंतर्गत आने वाले किसी प्रश्न पर चर्चा एवं परामर्श देना
4. अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सहयोग बढ़ाने की व्यवस्था करना और सुझाव देना, अंतरराष्ट्रीय कानून के विकास और संहिताकरण, सभी के लिए मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं की सुनिश्चित करना तथा आर्थिक, सामाजिक

Scanned with CamScanner

सांस्कृतिक, शिक्षा एंव स्वास्थ्य क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अध्ययन एवं परामर्श देना

5. सुरक्षा परिषद तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की दूसरी शाखाओं से रिपोर्ट लेना तथा उन पर विचार करना। मूल कारण पर बिना विचार किए देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को नष्ट करने वाले किसी भी स्थिति के आने पर शांतिपूर्ण समझौते के लिए सुझाव देना।
6. सामरिक इलाकों को छोड़कर निझेपधारी (ट्रस्टीशिप) समझौते का निक्षेपधारी परिषद के माध्यम द्वारा निरीक्षण करना
7. सुरक्षा परिषद व अन्य संयुक्त राष्ट्र अंगों द्वारा प्राप्त रिपोर्टों का विवेचन करना
8. संयुक्त राष्ट्र बजट पर विचार एवं अनुमोदन करना तथा सदस्यों के बीच अंशदान का संविभाजन करना
9. सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्यों का चुनाव, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद एवं न्यास परिषद के अस्थाई सदस्यों का निर्वाचन, सुरक्षा परिषद के साथ संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन और

Scanned with CamScanner

सुरक्षा परिषद के परामर्श पर महासचिव को नियुक्त करना इसके कार्य में शामिल है।

10. नवंबर 1950 में महासभा द्वारा स्वीकृत '**शांति के लिए एकता प्रस्ताव**' के अंतर्गत यदि सुरक्षा परिषद अपने स्थाई सदस्यों की सर्वसम्मति के अभाव में शांति के लिए खतरा, शांति भंग या आक्रमण होने की दशा में शांति कायम रखने की जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ रहती है तो महासभा अपने सदस्यों से मिलजुल कर विचार करेगी तथा शांति भंग या आक्रमण की दशा में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने या पुनर्स्थापित करने के लिए सेना का उपयोग कर सकती है।

बड़ी संख्या में प्रश्नों पर विवेचन के कारण महासभा का दायित्व बढ़ जाता है इसलिए यह अधिकांश प्रश्नों का बंटवारा निम्नलिखित सात प्रमुख समितियों को सौंपता है :

- पहली समिति (निशस्त्रीकरण और संबंधित अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के मामले)
- दूसरी समिति(आर्थिक एवं वित्तीय मामले)

Scanned with CamScanner

- तीसरी समिति (सामाजिक, मानववादी और संस्कृति मामलें)
- चौथी समिति(वि- उपनिवेशीकरण के मामले)
- पांचवी समिति(प्रशासनिक और बजट संबंधी मामले)
- छठी समिति (कानूनी मामले)
- विशेष राजनीतिक समिति

  हालांकि महासभा के निर्णय सरकारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है तथापि उन फैसलों में विश्व जनमत की अभिव्यक्ति होती है।

To be continued...

BY :ARUN KUMAR RAI
Asst. Professor
P.G.Dept.of History
Maharaja College
Ara.

Scanned with CamScanner